

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:-केसरसिंह

विपक्षी:- नवलसिंह

किस्म मुकदमा:-वाद

पत्रावली संख्या:-270 / 19

सन:- 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 23.12.19</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण लम्बे समय से संशोधित अनवान हेतु नियत हैं। संशोधित अनवान हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद संशोधित अनवान पेश नहीं किया गया। दिनांक 11.12.19 को संशोधित अनवान पेश करने हेतु अन्तिम अवसर भी दिया गया किन्तु वादी एवं वादी के अधिवक्ता द्वारा न तो संशोधित अनवान पेश किया गया, न ही वे आज प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित हुए। न्यायालय समय में न्यायालय द्वारा रुक रुक कर तीन बार आवाज भी लगवाई गई। किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी अथवा वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। अथवा यह मुकदमा अब नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>अतः वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।</p> <p>प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कित्ता शुमारी दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">डा० मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) गिर्वा - उदयपुर</p>	

